जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-08.07.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 ग्राम स्मैक बरामदः-

आज दिनांक 08.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जावेद पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला खैलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 12 ग्राम स्मैक ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कैराना जनपद शामली ।

2.है0का0 अनुज कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

3.है0का0 राहुल कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

4.का0 सोनू भाटी थाना कैराना जनपद शामली ।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो दिनांक 07.07.2025 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 08.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 01अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 भारत कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आनन्द हॉस्पिटल शामली में गाली गलौज, मारपीट करने व हॉस्पिटल के मैनेजर को डरा धमका कर रुपये लेने व रंगदारी मांगने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि वादी शाकिब पुत्र फारूख निवासी ग्राम बुंटा गढीपुख्ता जनपद शामली जो कि आनन्द हॉस्पिटल शामली में मैनेजर है। दिनांक 20.04.2025 को आनन्द हॉस्पिटल में हरेन्द्र शर्मा ने अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में घुसकर अपने आप को किसान यूनियान का पदाधिकारी बताकर गाली गलौज व मारपीट करने तथा हॉस्पिटल के मैनेजर को डरा धमका कर रुपये लिये गए व प्रतिमाह रंगदारी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 08.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आनन्द हॉस्पिटल शामली में गाली गलौज, मारपीट करने व हॉस्पिटल के मैनेजर को डरा धमका कर रुपये लेने व रंगदारी मांगने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त हरेन्द्र शर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विपिन पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पिण्डौरा थाना झिंझाना शामली हाल पता गली न0-1 मौहल्ला वेद विहार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 युनूस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 नीटू कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शस्त्र अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2000 में अभियुक्त श्योराज पुत्र बनवारी निवासी हरनाली थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0-105/2000 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधी व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।